ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	23/2017 राजेश V/s मनीराम	
25/10/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी/रिस्पोडेन्ट ने लिखित बहस पेश की, शा. फा. हो। अधिवक्ता उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र बाबत अपील अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने पर सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट ने कथन किया कि दिनांक 16/3/17 को उसकी अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज अदम हो गई तथा कथन किया कि पूर्व अधिवक्ता ने प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया है जिसके लिये देरी माफ करने हेतु धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में गलत प्रावधान अंकित करने व मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर खारिज करने का अनुरोध किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 300/- रुपये (तीन सौ रुपये मात्र) कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील रेस्टोर की जाती है। वकील प्रार्थी कॉस्ट की राशि राजकोष में जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल अपील रहे। आदेश सुनाया गया। चि॰ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	